सुशासन और विश्वास के 3 साल विकास के

mygov मेरी सरकार

माईगव हिमाचल न्यूजलेटर

डिजिटल मासिक पत्रिका

शिमला (हिमाचल प्रदेश)| वर्ष: 01 | अंक: 03 | फ़रवरी 2021 himachal.mygov.in

Visit & Participate himachal.mygov.in /mygovhimachal

फरवरी माह के पहले सप्ताह हुए ताजा हिमपात के दौरान रिज मैदान, शिमला का अद्भुत दृश्य।

ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य बना हिमाचल

माईगव, हिमाचल|

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाने के उद्देश्य से ई-कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। डिजिटल दौर के मद्देनजर प्रदेश की यह बड़ी उपलब्धि है, इसके परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश देशभर में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है।

5 फरवरी को ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पहली ई-कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ई-कैबिनेट के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आईटी एप्लीकेशन को विकसित किया गया है और यह पूरे देश में इस तरह का पहला ऐसा इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। पहली ई-कैबिनेट की बैठक में 32 कैबिनेट ज्ञापनों पर भी चर्चा की गई और इसे ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया गया।

कैबिनेट ज्ञापन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रावधान

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि कैबिनेट ज्ञापन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें संबंधित सचिव, मुख्य सचिव, संबंधित मंत्री और अंत में मुख्यमंत्री द्वारा ज्ञापन को कैबिनेट में रखने की अनुमति इत्यादि शामिल है। उनके अनुमोदन के बाद कैबिनेट बैठक की तारीख भी इस प्रणाली के माध्यम से अधिसूचित की जाएगी। कैबिनेट कार्यवाही और संबंधित एजेंडे पर कैबिनेट के फैसलों की रिकॉर्डिंग और संबंधित विभागों की सलाह जारी करने का काम भी ई-कैबिनेट प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है ई-कैबिनेट

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि ई-कैबिनेट विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है जैसे कि विभिन्न स्तरों पर वास्तविक समय में एसएमएस के माध्यम से स्वचालित अलर्ट की सुविधा, ऑनलाइन कैबिनेट ज्ञापन की प्राप्ति, कैबिनेट की बैठक को अंतिम रूप देना तथा कैबिनेट ज्ञापन पर संबंधित विभागों से सलाह लेना। उन्होंने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से संबंधित सचिवों को डैशबोर्ड के रूप में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ई-कैबिनेट एप्लीकेशन एंड्रॉइड डिवाइस पर मोबाइल ऐप के रूप में भी उपलब्ध है और जल्द ही इसे आईओएस डिवाइस पर भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि ई-कैबिनेट एप्लिकेशन में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। इस एप्लिकेशन में केवल अधिकृत कंप्यूटरों पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही इस्तेमाल की अनुमति है। उपयोगकर्ता को कैबिनेट ज्ञापन के स्क्रीनशॉट लेने, डाउनलोड या प्रिंट करने की अनुमति नहीं है तथा अनाधिकृत प्रयास पर स्वचालित अलर्ट उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के मद्देनजर ओटीपी का उपयोग करके ही लॉगईन किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में डाले गए सभी कैबिनेट ज्ञापनों में दिनांक और समय टिकट के साथ विशेष क्यूआर कोड होगा।

कैबिनेट ज्ञापनों को कागज पर लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने कहा कि नई प्रणाली कैबिनेट बैठक आयोजित करने की समग्र प्रक्रिया में अधिक दक्षता लाएगी और कैबिनेट ज्ञापनों को कागज पर लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह कैबिनेट की कार्यवाही की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा लाएगी। इस प्रणाली में कैबिनेट ज्ञापन का एक मानक टेम्पलेट होगा जिससे निर्णय लेने में आसानी होगी। यह प्रणाली सुरक्षित रूप से संचय करके भविष्य में इस्तेमाल के लिए संस्थागत मेमोरी तैयार करेगी। इस माध्यम से कैबिनेट के फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति को और अधिक प्रभावी ढंग से मॉनिटर करना भी संभव होगा

हिमाचल पुलिस ने बरामद की 111 किलो चरस

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल पुलिस ने राज्य में नशे का अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर अभियान चलाया है। राज्य पुलिस ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया है। इसके अतंर्गत पुलिस द्वारा प्रदेशभर में समय-समय पर छापामारी और नाकाबंदी की जा रही है। हिमाचल पुलिस को हाल ही में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है।

कुल्लू पुलिस ने अपने एक ऑप्रेशन के दौरान 111 किलोग्राम चरस बरामद की है। हिमाचल के इतिहास में यह सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार बरामद की गई चरस की कीमत करोड़ों की है।

हिमाचल पुलिस इस अभियान के तहत वर्ष 2021 के पहले 15 दिनों में 33.2 किलो चरस बरामद की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस उन आरोपियों पर सख्त नजर रख रही जो पूर्व में भी नशे से जुड़े कारोबार में संलिप्त पाए गए हो।

प्रदेश पुलिस उन स्थानों पर गश्त कर रही जहां नशे से जुड़ी गतिविधियों की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को नशे का कारोबार करते धरा जाता है उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है।

पीएम-किसान योजना के अंतर्गत बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को मिले चार पुरस्कार

माईगव, हिमाचल।

हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर हिमाचल प्रदेश को इस योजना के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में चार पुरस्कारों से सम्मानित किया है जिनमें एक राज्य स्तरीय पुरस्कार और तीन जिला स्तरीय पुरस्कार शामिल हैं।

24 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी ने प्रदेश के जल शक्ति और राजस्व मंत्री श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर जी को ये पुरस्कार प्रदान किये।

हिमाचल प्रदेश ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भू-भाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत भौतिक सत्यापन और शिकायत निवारण में बेहतर प्रदर्शन के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है।

राज्य में पीएम-किसान योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन और 56 प्रतिशत शिकायतों का निवारण पहले ही किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, उत्तर-पूर्वी राज्यों और पहाड़ी भू-भाग वाले क्षेत्रों की श्रेणी के अंतर्गत राज्य के तीन जिलों को पुरस्कृत किया गया है। लाहौल-स्पीति जिला को आधार प्रमाणित लाभार्थियों के मापदंड, सिरमौर जिला को शिकायत निवारण और जिला कांगड़ा को लाभार्थियों के भौतिक सत्यापन के लिए पुरस्कृत किया गया है।

राजस्व मंत्री श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सभी राज्यों में हिमाचल प्रदेश ने अधिकतम चार पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विकास के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है और सभी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहा है ताकि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर लाभार्थियों तक पहुंचे।

देश के सभी छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 24 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था ताकि वह कृषि और संबंधित गतिविधियों से जुड़े खर्चों को वहन कर सकें।

निदेशक, भू-अभिलेख एच.आर. चौहान सहित लाहौल-स्पीति, कांगड़ा और सिरमौर के जिला प्रशासन के अधिकारी जल शक्ति मंत्री के साथ उपस्थित थे।

शान फुलझेले ने मुख्यमंत्री को 1.71 लाख का चैक भेंट किया

माईगव, हिमाचल।

कांगड़ा के 12 वीं कक्षा के छात्र शान फुलझेले ने हिमाचल प्रदेश के सार्वजनिक पुनर्वास केंद्रों की सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को धर्मशाला में मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु 1.71 लाख रुपये का चैक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने शान फुलझेले की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कदम जरूरतमंदों की मदद करने के लिए दूसरों को प्रेरित करने वाला है।

शान एडवेंचर स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है और वे स्टेट लेवल वाल क्लाइंबर हैं। उन्होंने ड्रग कल्चर को समाप्त कर एडवेंचर स्पोर्ट्स कल्च को बढ़ाने की संकल्पना की है। शान ने यह फंड किटो प्लेटफार्म और 2020 की गर्मियों के दौरान एलइएपीपी कार्यक्रम की अगुवाई कर 7-8 देशों के दानकर्ताओं से अंशदान के रूप में प्राप्त किया है। शान फुलझेले के पिता डीआईजी एवं पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र डरोह के प्रधानाचार्य अतुल फुलझेले भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सर्वोच्च न्यायालय ने एफसीए व एफआरए मामलों को दी स्वीकृति, मुख्यमंत्री ने जताई प्रसन्नता

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश के 685.58 हेक्टेयर क्षेत्र में 605 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एफसीए और एफआरए प्राप्त नहीं होने के कारण विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं कई वर्षों से समय पर कार्यान्वित नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की उदारता और राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मामले को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने के कारण संभव हुआ।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी न्यायालय के सामने मामले को प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया ताकि राज्य के विकास में विभिन्न बाधाओं को हटाया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन 605 परियोजनाओं में से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 138 परियोजनाओं को एफसीए स्वीकृति प्रदान की है।न्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी, 2021 को जारी आदेशों के अनुसार 138 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की है जिसके लिए केंद्र सरकार ने एफसीए के तहत स्वीकृति प्रदान की है और एफआरए के तहत 465 परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की अनुमति प्रदान की है।

अगले वित्त वर्ष में 96,855 क्विंटल गेहूं बीज उत्पादित करने का लक्ष्य

माईगव, हिमाचल।

कृषि विभाग के निदेशक डॉ. नरेश कुमार ने बताया कि विभाग खाद्यान्नों इत्यादि के बीजों को प्रदेश में ही उत्पादित कर किसानों को वितरित करने की ओर आत्मनिर्भर हो रहा है। विभाग द्वारा गेहूं, मक्की, धान व चना इत्यादि बीजों को प्रदेश से बाहर खरीदकर किसानों को उपलब्ध करवाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग ने वर्ष 2021-22 से प्रदेश में ही बीज उत्पादन को किसानों की मांग पूरी करने की कार्य योजना बनाई है। वर्ष 2021-22 में गेहूं की 1,08,000 क्विंटल बीज की मांग को ध्यान में रखते हुए 96,855 क्विंटल बीज प्रदेश में उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 95 हजार क्विंटल बीज नौ पंजीकृत कृषक समूहों द्वारा उत्पादित किया जाएगा व विभाग इन कृषक समूहों से खरीदकर प्रदेश के अन्य किसानों से बीज वितरित करेगा।

कृषि विभाग इन कृषक समूहों से 26 प्रतिशत अधिक मूल्य पर गेहूं के बीज खरीदेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके अलावा 1855 क्विंटल बीज प्रदेश के कृषि फर्मों में पैदा किया जाएगा। वर्ष 2020-21 में केवल 40,650 क्विंटल गेहूं के बीज का उत्पादन प्रदेश में उत्पादित कर किसानों में वितरित किया गया था। विभाग के पांच पंजीकृत कृषि समूहों द्वारा अगले वर्ष तीन हजार क्विंटल बीज की मांग के अनुसार बीज उत्पादित कर किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला चंबा में मक्की की सुधरी हुई दो किस्मों- चिटकिनू व सफेद मक्की के बीजों के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इन

किस्मों के बीजों को अधिक से अधिक कृषकों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विभाग किसानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

कानून की अनुपालना को व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बनाएं : मुख्य सचिव

माईगव, हिमाचल।
परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 17 फरवरी को हिप्पा में नेहरू युवा केन्द्र संगठन के जिला युवा अधिकारियों, राष्ट्रीय स्वयं सेवकों और युवा नेतृत्व द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता सन्देश जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कार्यशाला की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि कानून की अनुपालना हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होना चाहिए। सभी का दायित्व है कि अपने और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए नियमों का सही प्रकार से पालन करें। कानून लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, जिनकी अवहेलना करने से कई तरह के दुष्परिणाम सामने आते हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि बहुत सी सड़क दुघर्टनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। आम आदमी को तेज रफ्तार, शराब सेवन कर गाड़ी चलाने, ओवर लोडिंग और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वह सड़क सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सन्देश लेकर समाज में जाएं और अन्य लोगों के साथ भी इसे साझा करें। सड़क दुघर्टना की स्थिति में सहायता करने वाले लोगों यानि गुड समारिटन की परिकल्पना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गुड समारिटन की भागीदारी से सड़क दुघर्टनाओं में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी। मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा-जीवन रक्षा विषय पर आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 'कैच दा रेन' पोस्टर का विमोचन भी किया। प्रधान सचिव परिवहन के.के. पंत ने मुख्य सचिव का स्वागत किया। निदेशक हिप्पा सी.पी. वर्मा ने हिप्पा की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया।

निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने 18 जनवरी, 2021 से 17 फरवरी, 2021 तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभाग द्वारा प्रदेश में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक शिमला मोहित चावला और नेहरू युवा केन्द्र के राज्य निदेशक सैमसन मसीह ने भी विचार व्यक्त किए। 'एक जिला विशेष कार्यक्रम' के तहत सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला सिरमौर सोना चैहान ने प्रस्तुति दी। कार्यशाला में परिवहन विभाग द्वारा ई-परिवहन विषय पर लघु वृत्तचित्र भी प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त आयुक्त, सड़क सुरक्षा हेमिश नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कार्यशाला में अ[illegible] आयुक्त, एसटीए घनश्याम चन्द, अ[illegible] निदेशक हिप्पा ज्योति राणा, पा[illegible] समन्वयक डा. आर.के. शर्मा, [illegible] प्रशिक्षक रविन्द्र शर्मा, अधिशाषी अ[illegible] राउजिफ शेक, नेहरू युवा केन्द्र के जिल[illegible] अधिकारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक और [illegible] गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

10 जिलों में सजा जनमंच, सैंकड़ों शिकायतों का समाधान

जनमंच

माईगव, हिमाचल।
प्रदेश के दस जिलों में 14 फरवरी को जनमंच कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैंकड़ों शिकायतों का निराकरण किया गया। विभिन्न जिलों में आयोजित जनमंच कार्यक्रमों की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्रियों ने की। चंबा में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित दो शिकायतें व 41 मांगें प्राप्त हुई। मांगों को कार्रवाई हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया जबकि शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया। सोलन में प्राप्त 83 शिकायतों में से 62 का निपटारा मौके पर किया गया व शेष शिकायतें निपटारे हेतु संबंधित विभागों को भेजी गई। हमीरपुर में 57 शिकायतें एवं 54 मांगें प्रस्तुत की गई जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया गया

कुल्लू में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 95 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 85 का मौके पर निपटारा किया गया जबकि शेष 10 को संबंधित विभागों को तुरंत समाधान हेतु अग्रेषित किया गया। कांगड़ा में 54 शिकायतें आई, जिनमें से 40 शिकायतों का मौके पर निपटारा किया गया। शेष मामलों को निपटारे हेतु संबंधित विभागों को भेजा गया। जिला बिलासपुर में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के दौरान 41 शिकायतें और 29 मांगे प्राप्त हुई। मंडी में विभिन्न विभागों से जुड़ी 132 समस्याएं व शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गया। ऊना में आयोजित जनमंच कार्यक्रम के दौरान 53 शिकायतें प्राप्त हुई। शिकायतें समयबद्ध निपटान हेतु संबंधित विभागों को भेजी गईं। शिमला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 73 शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनमें से 29 का निपटारा किया गया तथा शेष शिकायतों को निपटारे के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया, इसके अतिरिक्त 66 विभिन्न मांगों के आवेदन भी प्राप्त हुए। जिला सिरमौर में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 32 शिकायतें और 100 से अधिक मांगे प्राप्त हुईं। शिकायतें समयबद्ध निपटान हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित की गईं।

15 अप्रैल को आरंभ होगी स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा

माईगव, हिमाचल।
हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर 15 अप्रैल, 2021 को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा आरंभ होगी और 51 दिनों की यह यात्रा प्रदेश की सभी 3615 ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों से होकर गुजरेगी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 11 फरवरी को शिमला में रथ यात्रा के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम रथ यात्रा का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक हिमाचलवासी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर उनमें अपनत्व की भावना उत्पन्न करना है। इस यात्रा का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश की 50 वर्षों की शानदार विकासात्मक यात्रा प्रदर्शित करने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंत्रिगण, विधायकगण और शहरी स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा सोशल मीडिया और रथ यात्रा के माध्यम से प्रदेश के लगभग 25 लाख लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभागों को अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने पर विशेष बल दिया जाएगा जिसके लिए विभाग अपनी विकासात्मक यात्रा को दर्शाती विवरणिका, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री उपलब्ध करवाएंगे जिसे डिजिटल रथ के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।

बुनकरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में रंग ला रहे हैं हथकरघा-हस्तशिल्प निगम के प्रयास

माईगव, हिमाचल।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में हिमाचल प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड भी तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा रहा है। निगम प्रदेश में कई परियोजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनके माध्यम से हजारों बुनकरों और शिल्पियों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने 15 फरवरी को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि निगम प्रदेश में लगभग 26 योजनाओं पर कार्य कर रहा है जिनमें दो हजार से अधिक लोग विभिन्न टैªड्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्य में करीब 900 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं जिनमें 100 प्रशिक्षण केंद्र जनजातीय क्षेत्रों में ही कार्यशील हैं। निगम बुनकरों और शिल्पियों को चीड़ की पत्तियों, बांस, लकड़ी की काष्ठकला, चम्बा रूमाल, मफलर, दस्तानों, टोपियों और कांगड़ा पेंटिंग आदि पर प्रशिक्षण देने के लिए विशेषरूप से प्रयास कर रहा है। हाल ही में शिमला के टुटू में हस्त बुनाई पर प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। दो महीनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में 20 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रति दिन 300 रुपये के हिसाब से दैनिक भुगतान किया गया। इस प्रकार प्रत्येक महिला ने इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण के साथ-साथ 14,400 रुपये की आमदनी भी प्राप्त की।

पार्टी चिन्हों पर होंगे नगर निगम चुनाव, एसएमसी शिक्षकों की सेवाओं शैक्षणिक सत्र बढ़ेगा

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में 23 फरवरी को आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम चुनाव नियमों, 2012 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इन संशोधनों से पार्टी चिन्हों पर चुनाव आयोजित करवाने, अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने और दल-बदल पर अयोग्य घोषित करने तथा अविश्वास प्रस्ताव आदि को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में किसानों के हितों के लिए के लिए जिला सिरमौर की तहसील पांवटा साहिब के मौजा धौलाकुआं में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय बागवान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के लिए डॉ. वाई.एस. परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी को 122-08 बीघा सरकारी भूमि 99 वर्ष की अवधि के लिए एक रुपया प्रति माह की दर पर पट्टे पर देने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल बैठक में आधिकारिक यात्राओं के दौरान कर्मचारियों और आम जनता को बेहतर ठहरने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मण्डी जिले के सुन्दरनगर विश्राम गृह में 3.90 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त भवन निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के नालागढ़ में विशेष भूमि अधिग्रहण इकाई का विस्तार करने को स्वीकृति दी। परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण शिमला के अधीन 18 किलोमीटर सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण क्लैक्टर नालागढ़ द्वारा किए जा रहे भू-अधिग्रहण कार्य के दृष्टिगत पहली जनवरी, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारियों को पुनर्रोजगार अथवा निर्धारित वेतन के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 210-ए के तहत दण्डध्जुर्माने को संशोधित करने के प्रस्ताव के साथ-साथ अधिनियम की धारा-200 के तहत कम्पाउंड अपराधों में सक्षम अधिकारियों को जुर्माना लगाने के शक्तियों में संशोधन की भी मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय लोगों को सुरक्षित ड्राईविंग अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए लिया गया है और इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

मंत्रिमण्डल ने प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों में एसएमसी शिक्षकों की नीति के तहत पहले से तैनात 2555 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्ति को शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमण्डल ने गलवान हमले के शहीद अंकुश ठाकुर के सम्मान में हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह का नाम बदलकर शहीद अंकुश ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनोह रखने को सहमति प्रदान की। प्रदेश के पात्र कृषि उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहन, रियायतें और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मंत्रिमण्डल ने किसान उत्पादक संगठन (एफपीओज)-2020 मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत एफपीओ कुल परियोजना लागत की 30प्रतिशत प्रारंभिक राशि का लाभ उठा सकते हैं जिसके लिए अधिकतम सीलिंग छह लाख अथवा एफपीओ द्वारा अर्जित डेढ़ गुणा इक्विटी जो भी कम हो, का लाभ मिल सकेगा। यह योजना बैंक ऋण, ब्याज अनुदान आदि के लिए क्रैडिट गारंटी कवर भी सुनिश्चित करेगी।

मंत्रिमण्डल ने छोटा शिमला वार्ड के मोहाल बाजार के खसरा नम्बर 60 में शिमला जमीन जो वर्तमान में पुलिस विभाग के अधिकार क्षेत्र में है, को नगर निगम शिमला को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की ताकि नगर निगम शिमला की दो दुकानों को खसरा नम्बर 60 में स्थानांतरित किया जा सके। इससे छोटा शिमला से कसुम्पटी सड़क पर यातायात की समस्या से निपटने और जनहित में सद्भावना चौक को चौड़ा करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने प्रेदश के प्रत्येक नर्सिंग संस्थान में 45 वर्ष से कम आयु की पात्र विधवाओं के लिए एएनएम या बीएससी पाठ्यक्रम में एक सीट आरक्षित करने को सहमति प्रदान की।

बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना 2019 में संशोधन को अनुमति प्रदान की गई। इससे उद्यमियों पर ऋण का बोझ कम होगा और सब्सिडी उधारकर्ता के सावधि ऋण खातों में जमा की जाएगी। यह तीन साल के बाद ही समायोजित की जाएगी। योजना के तहत बैंक द्वारा ऋण की पहली किश्त के वितरण के बाद महाप्रबंधक, जीआईसी पहले 60 प्रतिशत की दर से अनुदान राशि को मंजूरी प्रदान करेंगे। इकाई के व्यावसायिक उत्पादन एवं संचालन और इकाई के भौतिक सत्यापन शुरू होने के उपरान्त 40 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि सत्यापन के 15 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।

मंत्रिमण्डल ने अभियोजन विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 12 पदों को भरने स्वीकृति प्रदान की। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के चार पदों को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के आठ पदों को अनुबन्ध आधार पर भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में अनुबन्ध आधार पर उद्योग विभाग में प्रबंधक डीआईसी के एक पद को भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के दो पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में श्रम एवं रोजगार विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक निदेशक कारखानों (रसायन) के एक पद को भरने की सहमती दी गई। मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के अवसर पर आयोजित की जा रही स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर आयोजित होने वाले विभिन्न समारोहों पर भी चर्चा की।

हिमाचल में ई-परिवहन व्यवस्था शुरू

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 25 फरवरी को प्रदेशवासियों को ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाणपत्र एवं परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए शिमला में राज्य परिवहन विभाग की ई-परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। एनआईसी द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे- पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाणपत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर ई-परिवहन व्यवस्था प्रचार साहित्य को भी जारी किया।

हिमाचल में एडवान्सड लाईफ स्पोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस सेवा शुरू

माईगव, हिमाचल।

मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 25 फरवरी को आईजीएमसी, शिमला से 6 नई एडवान्सड लाईफ स्पोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस जीवन-दायिनी हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित कीं। ये एम्बुलेंस राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों को प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन एम्बुलेंस में परिवहन एवं आईसीयू वेंटीलेटर, महत्वपूर्ण संकेत मॉनीटर, स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर, सक्शन पम्प, आपातकालीन पुनर्जीवन किट, हैड इमोबिलाइजर, वैक्यूम स्पलिंट किट, माउथ-टू-माउथ रेस्पिरेटर, मैनुअल, रिसशिटेशन बैग, सिरिंज, इन्फ्यूजन पम्प इत्यदि जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं। ये एम्बुलेंस सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सेवाएं देंगी जिनका नियंत्रण अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के अधीन होगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन की तस्वीरें।